

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 3 सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4 आयुक्त कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल।
- 5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून

दिनांक: 01/मई/2021

विषय:- कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश संशोधित करते हुये पारित किये जाते हैं:-

- 1 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के आदेश संख्या-70/USDMA-792(2020) दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के बिन्दु संख्या-01 के क्रम में संशोधन करते हुये सामाजिक आयोजनों यथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या-25 से अधिक नहीं होगी।
- 2 उक्त आदेश संख्या-70/USDMA-792(2020) दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के बिन्दु संख्या-02 एवं 03 यथावत रहेंगे।

अतः उपर्युक्त दिशा-निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार:-

- 1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2 सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 3 निजी सचिव, मा0 मंत्री आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड।
- 3 सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
- 4 महाधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 5 सचिव, गोपन (मंत्री परिषद) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- 7 स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 8 सम्बन्धित पत्रावली।

आज्ञा से

सचिव,

आपदा प्रबन्धन विभाग।